

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा

अनुवान प्रभु दयाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 381/2025

निर्णय दिनांक 18/09/25

प्रभु दयाल पुत्र माधा राम जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 806 खसरा नं. 1131/286 तादादी 1.0116 हैक्ट., ख.नं. 2120/1121 तादादी 2.0232 हैक्ट., ख.नं. 2122/1128 तादादी 2.8325 हैक्ट., ख.नं. 2124/1134 तादादी 1.6059 हैक्ट भूमि रोही ग्राम कोहिणा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम प्रभुराम पुत्र महादेवाराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम प्रभु दयाल पुत्र माधा राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम प्रभु दयाल पुत्र माधा राम किये जाने की अभिशंका की है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम कोहिणा तहसील तारानगर के खाता संख्या 806 खसरा नं. 1131/286 तादादी 1.0116 हैक्ट., ख.नं. 2120/1121 तादादी 2.0232 हैक्ट., ख.नं. 2122/1128 तादादी 2.8325 हैक्ट., ख.नं. 2124/1134 तादादी 1.6059 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रभुराम पुत्र महादेवाराम Delete कर इसके स्थान पर प्रभु दयाल पुत्र माधा राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/09/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कोहिणा में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra Kumar
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)